भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, पोस्ट–बड़ासी, देहरादून।

संख्या 2345 / मु0ख0 / खनन / 68 / सोपस्टोन / बागे0 / भू0खनि0ई0 / 2020–21, दिनांक 23 सितम्बर, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

मै0 जय माँ भगवती भाटनीकोट माईन्स एण्ड मिनरल्स, भाटनीकोट, तहसील व जनपद बागेश्वर भागीदार (1.श्री बिशन सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, ग्राम भाटनीकोट, तहसील व जिला बागेश्वर। 2.श्रीमती प्रियंका भाकुनी पत्नी श्री मुकुल भाकुनी, ग्राम आरे, तहसील व जिला बागेश्वर। 3. श्री दिव्यांशु वर्मा पुत्र श्री राजेश वर्मा, निवासी दुग बाजार, बागेश्वर तहसील व जिला बागेशर। 4. श्री हरीश सिंह पुत्र जगदीश सिंह, ग्राम बिलौनासेरा, तहसील व जिला बागेश्वर) के पक्ष में औद्योगिक विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1832 / VII-A-I / 2021 / 1(44) / 21, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 के द्वारा जनपद व तहसील बागेश्वर, के ग्राम भाटनीकोट के क्षेत्रान्तर्गत 07.592 है0 भूमि में 50 वर्ष की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) पर स्वीकृत खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टे पर क्षेत्रफल की खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762 / खनन / गौण खनिज–माईनिंग प्लान / 26 / भू0खनि0ई0 / 2015–16, दिनांक 31, अक्टूबर, 2015 तथा उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844 / VII-1 / 2015 / 68–ख / 2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589 / VII-1 / 2015 / 68–ख / 2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति–2015 के प्रस्तर–3(दो) (1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34 के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए श्री पंकज पाण्डे, आर0क्यू0पी0 पंजीकरण संख्या Mu.Kha./RQP/DDN/04/2016 द्वारा तैयार की गयी खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु खनन कार्य सेमी मैक्नाइज्ड माईनिंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के **प्रथम वर्ष में 12604 टन, द्वितीय वर्ष में 13491 टन, तृतीय वर्ष में 14339 टन, चतुर्थ वर्ष में 15526 टन एवं पंचम वर्ष में 17996 टन** के उत्पादन हेतु प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन किया किया जाता है :–

शर्ते / प्रतिबन्धः–

1. प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन खनन पट्टे के पंजीकरण के दिनांक से अगामी 05 वर्ष की अवधि हेतु किया जा रहा है।
2. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाए असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो अनुमोदित खनन योजना का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
3. खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अर्न्तगत अपेक्षित कोई सूचना / विषय वस्तु का संगुप्त रखना / छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नही दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
4. खनन कार्य एवंम खनिजों के खनिज अन्वेषण / खनिज भण्डारण / खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना होगा। अनुमोदित खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन न किये जाने की दशा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अनुसार कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।
5. आवेदक द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति से पूर्व मशीनीकृत माइनिंग हेतु रू0 2.00 लाख बैंक गारन्टी निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म मशीनीकृत हेतु निदेशक के पक्ष में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. आवेदक द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1832 / VII-A-I / 2021 / 1(44) / 21, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) की शर्त संख्या–5 के अनुसार आवेदक द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 2601(अ) दिनांक 07 अक्टूबर 2014 के क्रम में जारी शासनादेश सं0 1621 / VII-1 / 212–ख / 2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना होगा एवं तदनुसार पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
7. कार्यालय ज्ञाप संख्या 1832 / VII-A-I / 2021 / 1(44) / 21, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 के द्वारा निर्गत आशय पत्र की समस्त शर्तो का अनुपालन आशय पत्र निर्गत के दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 से अगामी 06 माह अर्थात 08 जून

2022 तक की जानी थी जिसमें वर्तमान तक लगभग 03 माह का विलम्ब हो चुका है अगर शासन द्वारा उक्त आशय पत्र की अग्रेत्तर समयावधि नही बढायी जाती है तो यह खनन योजना स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

8. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोडकर अनुमोदित की जाती है।
9. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होगे।
10. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा0 ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नही करती है।
11. इस खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
12. प्रत्येक छमाई में खनन क्षेत्र की अनुमोदित खनन योजना के अनुसार आंकलन जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म को आंकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।
13. धात्विक खनन अधिनियम 1961 के अनुसार खदान सुरक्षा, खदान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की सम्मपूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी।
14. खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/क्रियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
15. आवेदक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
16. भू–सदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू–संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर0क्यू0पी तथा आशयपत्र धारक जिम्मेदार होगें।
17. अनुमोदित खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/आवेदक का होगा।

संलग्नकः खनन योजना
एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना
की अनुमोदित प्रति।

(हस्ताक्षर) 2/9/2022
(एस0 एल0 पैट्रिक)
निदेशक।

संख्या 2345/मु0ख0/खनन/68/सोपस्टोन/बागे0/भू0खनि0ई0/2020–21, तददिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. सदस्य सचिव राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला खान अधिकारी, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर।
5. मै0 जय माँ भगवती भाटनीकोट माईन्स एण्ड मिनरल्स, ग्राम भाटनीकोट, तहसील व जनपद बागेश्वर।
6. श्री पंकज पाण्डे, आर0क्यू0पी0 Mu.Kha./RQP/DDN/04/2016 ।

(हस्ताक्षर) 2/9/22
(एस0 एल0 पैट्रिक)
निदेशक।